

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011— चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए 3-60-2005-1-पांच (21).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	संशोधन (3)
1.	एफ-ए-3-88-06-1-पांच (06), दिनांक 21-3-2007	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.
2.	एफ-ए-3-60-05-1-पांच (09), दिनांक 1-4-2007	(1) अंक "31 मार्च, 2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं. (2) अनुक्रमांक 6 तथा 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए, और. (3) अनुक्रमांक 9 के सामने, कॉलम (4)में, शब्द "कोल्ड रोल्ल क्वाइल्स" के स्थान पर, शब्द "कोल्ड रोल्ल क्वाइल्स", जिसमें सम्मिलित है कोटेड, कलर कोटेड या गेल्वनाईज्ड कोल्ड रोल्ल क्वाइल्स और चादरें" स्थापित किए जाएं.
3.	एफ-ए-5-4-2007-1-पांच (25), दिनांक 27-6-2007	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.

(1)	(2)	(3)
4.	एफ-ए-3-42-07-1-पांच (29), दिनांक 22-9-2007	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.
5.	एफ-ए-3-6-08-1-पांच (8), दिनांक 27-3-2008	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.
6.	एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (47), दिनांक 1-4-2010	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.
7.	एफ-ए-3-23-2010-1-पांच (92), दिनांक 19-11-2010	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.
8.	एफ-ए-3-27-2010-1-पांच (102), दिनांक 27-12-2010	अंक "31-3-2011" के स्थान पर, अंक "31-3-2012" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (21), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A-3-60-2005-1-V(21).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby makes the amendments in this Department's Notifications specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. (2)	Amendments (3)
1.	F-A-3-88-06-1-V (06) dated 21-3-2007	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
2.	F-A-3-60-05-1-V (09) dated 1-4-2007	(1) For the figures and "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted. (2) Serial numbers 6 and 7 and entries relating thereto shall be omitted, and (3) Against serial number 9, in column (4), for the words "cold rolled coils", the words "cold rolled coils, including coated, colour coated or galvanized cold rolled coils and sheets" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
3.	F-A-5-4-2007-1-V (25) dated 27-6-2007	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
4.	F-A-3-42-07-1-V (29) dated 22-9-2007	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
5.	F-A-3-6-08-1-V (8) dated 27-3-2008	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
6.	F-A-3-2-2010-1-V (47) dated 1-4-2010	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
7.	F-A-3-23-2010-1-V (92) dated 19-11-2010	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.
8.	F-A-3-27-2010-1-V (102) dated 27-12-2010	For the figures "31-3-2011", the figures "31-3-2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.